न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/64/2025	2025/197	03.04.2025	09.07.2025

1–शहीद पुत्र सरदार जाति मेव निवासी बीबीपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1–हारूनी पुत्र शरीफ खान जाति मेव निवासी बीबीपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

2– उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल अप्रार्थी

3– सहरूनी पुत्री स्व० रती खां पत्नि इदरीश निवासी आकेडा तहसील व जिला नूंह मेवात हरियाणा।
4– सुमरी पत्नि सुलेमान जाति मेव निवासी बीबीपुर तहसील टपूकडा (राजस्थान)
5– असगर,
6– फकरू,
7– अरशद,
8– सलीम पुत्रान नियामत,
9– अलीमन,
10– हफीजन पुत्रीयान नियामत मेव निवासी डौटाना तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
11– इदरीश,
12– पप्पू
13– दिनू
14– सरदम,
15– बसरू पुत्रान रहमत,
16– जैनम,
17– जन्नती पुत्रीयान रहमत निवासीयान झिरिण्डया तहसील किशनगढ–बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
18– आसीनी पत्नि स्व० रती खां,
19– सुबे खां,
20– अरसद,
21– सहजू
22– आमीन,
23– समीम,
24– वसीम,
25– दीनू पुत्रान स्व० रती खा,
26– जरीना,
27– समीना,
28– मैमन,
29– मिसकीना पुत्रीयान स्व० रती खां जाति मेव निवासी बीबीपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
30– उप पंजियक भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
31– तहसीलदार टपूकडा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
31– बैंक प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा टपूकडा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
33– फरमीना पत्नि मुस्ताक अली,
34– बसीना पत्नि तोफिक,

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

35— बसीरी पत्नि नसरू दीन मेव निवासी बीबीपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान)

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री अब्दूल कलाम —वकील प्रार्थी
02. श्री लवकेश सिंह चौहान, सरजीतसिंह यादव —वकील अप्रार्थी—1

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 81/2024 हारूनी (वादीया) बनाम शहीद वगै0 (प्रतिवादीगण) को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुऐ निवेदन किया है, कि तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टपूकडा के समक्ष बअनुवान मुकदमा हारूनी बनाम शहीद वगै0 राजस्व वाद संख्या 81/2024 अप्रार्थी हारूनी द्वारा प्रार्थी के विरूद्व दायर किया हुआ है, जिसमें सुनवाई की विगत तारीख पेशी दिनांक 04/04/2025 नियत थी, उक्त वाद बाबत आराजी खसरा संख्या 104 रकबा 0.94 है0, 19 रकबा 0.11 है0, 191 रकबा 0.39 है0, 29 रकबा 0.04 है0, 33 रकबा 0.08 है0, 50 रकबा 0.05 है0, 9 रकबा 0.34 है0, 94 रकबा 0.86 है0, किता 8 रकबा 2.81 है0, एवं आराजी खसरा न0 161 रकबा 1.04 है0, वाके ग्राम बीबीपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल—तिजारा के बाबत दावा तकासमा मय हुक्इम्हनाई दवामी दायर किया हुआ है। दिनांक 21/3/2025 को तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा द्वारा प्रारम्भिक डिकी किया गया तथा कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार टपूकडा से तलब किये जाने हेतु अहकाम जारी हो आदेश पारित कर प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 04/04/2025 नियत की गयी। अप्रार्थी/वादी तहत अदालत के पीठसीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी टपूकडा से आपस में साज—बाज हो गये है। जो उक्त प्रकरण में शीघ्रता शीघ्र कार्यवाही कर रहे है, जो पत्रावली की आदेशिका से साफ जाहिर होता है दिनाक 26/06/2024 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के द्वारा अण्डरटेकिंग पेश की गयी थी, तथा वास्ते पेश करने जवाब दावा व वकालतनामा हेतु आगामी तारीख पेशी दिनाक 24.07.2024 नियत की गयी। उसके बाद पीठासीन अधिकारी न्यायालय में नहीं बेठे तथा अन्य राजकार्य में व्यस्त रहे। तथा वादपत्र में तारीख पेशी नियत होती रही उसके बाद दिनांक 10/01/2025 को वाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा० दी० का पेश हुआ, जो प्रार्थना दिनांक 17/1/2025 को स्वीकार हुआ तथा वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 33, 34, 35, की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया गया। तथा पत्रावली संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु नियत की गयी तथा उसके बाद दिनांक 24/01/2025 को संशोधित शीर्षक पेश हुआ। उसके बाद पत्रावली वास्ते ज़वाब दावा दिनांक 07/02/2025 नियत की गयी। उसके बाद पत्रावली में छोटी—छोटी 7—7 दिनों की तारीख पेशी नियत की गयी। दिनांक 21/03/2025 को न्यायहित में 90 दिवस पूर्ण हुये बिना ही प्रतिवादीगण का जवाब बन्द कर दिया तथा उसी दिन बिना तनकीयात कायम किये बिना साक्ष्य लिये व सुनवाई का अवसर दिये बिना वाद में प्रारम्भिक—डिकी जारी कर दी गयी जो वादी व उपखण्ड अधिकारी की साजबाजता को स्पष्ट जाहिर करती है। वाद में तहसीलदार से साजबाज होकर कुर्रे रिपोर्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा में पेश कर फाईनल डिकी प्राप्त करने पर अमादा है, तथा पीठासीन अधिकारी प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र में आगामी कोई कार्यवाही नही कर रहे है। वादी/अप्रार्थी जो राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है, जो उपखण्ड अधिकारी टपूकडा से साजबाज हो गया है। जिन्हे मैने कई बार उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय देखा है, तथा वादी/अप्रार्थी द्वारा मिन प्रार्थी/प्रतिवादी को भी ऐलानिया तौर पर धमकी दी जा रही है। उन्होने उपखण्ड अधिकारी से साठगाठ कर ली है तथा वाद फाईनल डिकी कराकर राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज करायेगा। मिन प्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा से निष्पक्ष व सही इन्साफ मिलने की उम्मीद नहीं है, मिन प्रार्थी बहुत दुखी है, और प्रार्थी को सही इन्साफ उपखण्ड अधिकारी टपूकडा से मिलने की दूर—दूर तक उम्मीद नहीं है। इसलिये उक्त वाद प्रकरण को जिले के किसी भी राजस्व न्यायालय में सुनवाई हेतु मुन्तकिल कर दिया जावे। विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

कथन की पुष्टि में 2023 (2) डी.एन.जे (राजस्व) 1118, 2023 (1) डी.एन.जे (राजस्व) 193, 2023 (1) डी.एन.जे (राजस्व) 191 की नजीरे पेश की गयी।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा में विचाराधीन बअनुवान मुकदमा हारूनी बनाम शहीद वगै0 राजस्व वाद संख्या 81/2024 दायर किया हुआ है। प्रस्तुत वाद बाबत आराजी खसरा संख्या 104 रकबा 0.94 है0, 19 रकबा 0.11 है0, 111 रकबा 0.39 है0, 29 रकबा 0.04 है0, 33 रकबा 0.08 है0, 50 रकबा 0.05 है0, 9 रकबा 0.34 है0, 94 रकबा 0.86 है0, किता 8 रकबा 2.81 है0, एवं आराजी खसरा न0 161 रकबा 1.04 है0, वाके ग्राम बीबीपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा की बाबत दावा तकासमा मय हुक्इम्हनाई दवामी दायर किया हुआ है। दिनांक 21/3/2025 को न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिकी पारित की गयी थी, जो कि उक्त प्रारम्भिक डिकी न्यायालय भू0 प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के द्वारा दिनाक 08.04.2025 को उपखण्ड अधिकारी टपूकडा द्वारा दिये गये आदेश दिनाक 21.03.2025 को निरस्त कर दिया गया, जो प्रभावी नही रहा है, तथा पत्रावली को रिमाण्ड कर सभी पक्षकारान को जवाब पेश करने का अवसर प्रदान कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु आदेश दिये गये है। उपखण्ड अधिकारी टपूकडा से साजबाज होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। जबकि प्रार्थी के सहयोगी तथा उक्त वाद में प्रतिवादी सुबेखां वगै0 आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है, जिनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 345/2024 पुलिस थाना टपूकडा जुर्म धारा 109 (1), 115 (2), 126 (2), 191 (3), 190 बी.एन.एस में दर्ज है, जो विचाराधीन है। तहत अदालत द्वारा प्रतिवादीगण को समुचित अवसर देने के उपरान्त ही विधि अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी थी। इसमें साज–बाज होने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टपूकडा का आदेश दिनांक 21/03/2025 को न्यायालय भू0 प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा दिनाक 08.04.2025 को निरस्त कर पत्रावली को रिमाण्ड किया गया है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार टपूकडा से साज–बाज होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। यह कहना गलत है, कि अप्रार्थी राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है, जबकि मिन अप्रार्थी संख्या 1 ग्रामीण परिवेश का किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली पर्दानसीन महिला है, उपखण्ड अधिकारी से साठ–गाठ कर ली है, यह मिथ्या तथ्य पेश किया गया है। उपरोक्त तथ्यो को मध्यनजर रखते हुऐ उक्त वाद की पत्रावली को जिले के किसी भी न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की आवश्यकता नही है। प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मय–हर्जा खारिज किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में तहत अदालत से बिन्दूवार जवाब प्राप्त किया गया। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टपूकडा ने जर्ये पत्राक 316 दिनाक 20.05.2025 के द्वारा प्रार्थना में वर्णित बिन्दूओ को नकारते हुऐ बिन्दूवार जवाब तैयार कर पेश किया गया है, जिसके अनुसार उनवानी प्रकरण संख्या 81/2024 दिनाक 26.02.20224 को दायर होकर विचाराधीन है, प्रकरण में वर्णित आराजी वाके ग्राम बीबीपुर तहसील टपूकड़ा में स्थित है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्याही की जा रही है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी न तो किसी पक्षकार से सर्म्पक में है, और न ही कोई नियम विरूद्व कार्यवाही की गयी है। यदि फिर भी वाद को सुनवाई के लिये अन्य सक्षम न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है, तो न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन बअनुवान मुकदमा हारूनी बनाम शहीद वगै0 राजस्व वाद संख्या 81/2024 को दिगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है, साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही विधिवत कार्यवाही पर भी आक्षेप किया गया है, प्रकरण में स्पष्ट है, कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद का शिध निस्तारण किये जाने हेतु ही छोटी–तारीख पेशीयॉ नियत की जा रही है इसमें पीठासीन की कोई दुरभावना नही है। विचाराधीन प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा कोर्ट मैनवल के अनुसार ही विधिवत कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)